

पत्रांक:- 865 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक, 11/08/2023 :

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0 पोखरी।

विषय:-

जनपद-चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्दीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-झाड़ों मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक 121 / FP/UK/ROAD/150462/2021, Dated 21-07-2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून ने उनके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय आपत्तियां लगाई है। पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं0 2 एवं 6 का निस्तारण आपके द्वारा किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बिन्दु सं0 2 एवं 6 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर यथाशीघ्र अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

क

संख्या 865 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ रेंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयांकित प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का स्वयं निरीक्षण कर संलग्न पत्र के बिन्दु सं0 4 तथा 5 के कम में अपनी सुस्पष्ट आख्या इस कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

क

o/c



पुस्त

9/8/2023

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक-121 /FP/UK/ROAD/150462/2021 देहरादून: दिनांक: 21 जुलाई, 2023

रोवा में,

- 1 प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
- 2 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
रजिस्ट्रेशन नं0 1324
फाइल नम्बर 121
प्राप्त दिनांक 09/08/2023

विषय :- जनपद-चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवलोकनीय कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं :-

- 1 प्रस्ताव में संलग्न बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण-पत्र में वन संरक्षक के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
- 2 परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की निकटतम राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्र में 2.3 किमी0 अंकित की गयी है, जिस हेतु सम्बन्धित मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
- 3 प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की धनराशि का वर्तमान दरों के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
- 4 क्या प्रस्तावित परियोजना से कोई जल स्रोत प्रभावित हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र/सूचना उपलब्ध करायी जानी है।
- 5 प्रस्तावित परियोजना के समरेखण के आस-पास वन्यजीव/वांस स्थल का विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।
- 6 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण एवं विस्तृत मक डिस्पोजल योजना।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित ऑपत्तियों का निराकरण कर सूचना/प्रमाण-पत्र एवं प्रस्ताव हार्ड प्रतियों में रक्ता कामियों का पूर्णतः निराकरण कर अपनी पूर्ण के उपरान्त ही इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर रवीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

सुबदीय,
(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :- 121 /FP/UK/ROAD/150462/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

मानाधिकारी
10/8/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।